<u>समाहरणालय,गढ़वा</u>

(उत्पाद शाखा)

बन्दोबस्ती सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रथम चार माह अर्थात बन्दोवस्ती की तिथि से 31 जुलाई 2017 तक के लिए गढ़वा जिला के अनवीकृत/अबन्दोवस्त देशी शराब की 02 (दो) एवं विदेशी शराब (वीयर एव वाईन सहित) की 06(छः) कुल– 08 (आठ) खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोवस्ती एकल दुकान वार दिनांक 26.04.2017 (बुधवार) एवं आवश्यकतानुसार अगले दिन को 11:00 बजे पूर्वाह्न से समाहरणालय सभाकक्ष, गढ़वा में अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा लॉटरी विधि से योग्य आवेदकों के मध्य की जायेगी।

बन्दोवस्ती में भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक आयुक्त उत्पाद,झारखण्ड राँची के पत्र संख्या– 545, दिनांक– 28.03.2017 तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए उत्पाद प्रपत्र 127(क) में प्रकाशित बिक्री अधिसूचना ज्ञापांक– 36 ,दिनांक–18.02.2016 में निहित सभी शर्तो, बंधेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालाय के पारित न्याय निर्णय से आबद्व होकर दिनांक–24.04. 2017 तक अपना आवेदन एवं वांछित कागजात निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ विहित प्रपत्र में केवल ऑनलाईन विधि से अपलोड (Upload) करना आवश्यक होगा।

आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक– 25.04.2017 है। ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के लिए आवेदक वेवसाईट– jhr.nic.in/exciselottery पर लॉग–ईन कर सकते हैं। आवेदन पत्र, आवश्यक शपथ पत्र का प्रारूप एवं बिक्री अधिसूचना का अवलोकन झारखण्ड सरकार का वेवसाईट–www.jharkhand.gov.in पर किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी गढ़वा जिला के बेवसाईट <u>www.garhwa.nic.in</u> पर या किसी भी कार्य दिवस को अधीक्षक उत्पाद, गढ़वा के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

18/4

उपायुक्त
गढ़वा।